२७/४/२४ पत्रावली पेशी में ली गई। बहस उभयपक्ष सुनी जा चुकी है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

[signature]

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

2 ... सिंह – अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

–ःनिर्णयः–

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी दिनांक :- 27.08.2025

अधिनियम 1955, इस आशय का पेश किया व याचित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की पैतृक कृषि भूमि चक 8 एस.एस.डब्लयू., प्रत्वार हल्का 10 के.एस.पी. जमाबंदी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 72/46 के प.न. 147/283 मु.न. 21 किला नंबर 3, 8, 13 व पत्थर नंबर 152/287 मुरब्बा नं0 55 किला नंबर 25/1/.2280, 25/2/.0250 व पत्थर नंबर 152/288 मुरब्बा नंबर 62 किला नंबर 4/1/.1900, 4/2/.0380, 4/3/.250, 5/1/.1640, 5/2/.0510, 5/3/.0380 व पत्थर नंबर 153/287 मुरब्बा नंबर 54 किला नंबर 17, 24 व पत्थर नंबर 153/288 मुरब्बा नंबर 63 किला नंबर 1/1/2150, 1/2/.0380, 2/1/.2150, 2/2/. 0380, 3/1/2150, 3/2/.0380, 9/.253, 10/.253 तादादी 3.2890 हैक्टेयर तथा चक 10 के. एस.पी. पटवार हल्का 10 के.एस.पी. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या 27/22 के प.न. 162/301 मुरब्बा नंबर 12 किला नंबर 7. 8. 13, 18, 22, 23/2/.1680 तादादी 1.4330 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों चकों की कुल तादादी 4.722 हैक्टेयर अर्थात 18 बीघा 11

यक कलक्टर
वं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

बिस्वा मय रास्ता व खाला कमाण्ड व अकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 एक ही सयुंक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का दादा व अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण का पिता है। वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज कृषि भूमि विरासतन भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्मतः हक व अधिकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज अप्रार्थी सख्या 01 के नाम दर्ज कुल 4.722 हैक्टेयर अर्थात 18 बीघा 11 बिस्वा में से अप्रार्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा अर्थात 4 बीघा 13 बिस्वा हिस्सा बनता है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 का 4 बीघा 13 बिस्वा में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा वाजिब बनता है तथा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या के कब्जा काश्त में है तथा प्रार्थीगण बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार है लेकिन इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा हैं इन हालात में प्रार्थीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में अप्रार्थी श्सख्या 01 के नाम दर्ज कुल 4.722 हैक्टेयर अर्थात 18 बीघा 11 बिस्वा में से अप्रार्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा अर्थात 4 बीघा 13 बिस्वा बनता है जिसमें से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 प्रत्येक का 1/3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा मुताबिक घोषणा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज करवाने का अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 01 ता 2 नशेडी व अयाश प्रवृत्ति के व्यक्ति है जो आपस में मिलीभगत कर प्रार्थीगण का हक व हिस्सा मारने की गर्ज से अन्य दीगर व्यक्तियों को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित दर्ज कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज होने का नाजायज व अनुचित फायदा उठते हुए रहन, वैय व मुन्तकिल करने हेतू कटिबद्ध है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अपने इस अनुचित व गैरकानूनी कृत्य में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो पर कुठाराघात होगा तथा उन्हें भारी असुविधा व अपरिमेय क्षति होगी तथा मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 ता 2 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या-3 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सख्या 01 के नाम दर्ज कुल 4.722 हैक्टेयर अर्थात 18 बीघा 11 बिस्वा में से अप्रार्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा अर्थात 4 बीघा 13 बिस्वा मे से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 का 4 बीघा 13 बिस्वा में प्रत्येक का 1/3 बहिस्सा बराबर विरासतन हक व हिस्सा बनता है एवं प्रार्थीगण पैतृक कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा जिसमें प्रार्थीगण के हक व हिस्सें को अप्रार्थी संख्या 01 किसी भी प्रकार से रहन, वैय व मुन्तकिल करने से तथा राजस्व रिकार्ड की मौका की स्थिति में परिवर्तन करने से निषिद्ध रहें।

यह कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृ षि भूमि चक 8 एस.एस.डब्लयू, पटवार हल्का 10 के.एस.पी. जमाबंदी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 72/46 के प.न. 147/283 मु.न. 21 किला नंबर 3, 8, 13 व पत्थर नंबर 152/287 मु.न. 55 किला नंबर 25/1/.228, 25/2/.025 व पत्थर नंबर 152/288 मुरब्बा नंबर 62 किला नंबर 4/1/190, 4/2/.038, 4/3/.25, 5/1/.164, 5/2/.051, 5/3/.038 व पत्थर नंबर 153/287 मुरब्बा नंबर 54 किला नंबर 17, 24 व पत्थर नंबर

153/288 मुरब्बा नंबर 63 किला नंबर 1/1/.215, 1/2/.038, 2/1/215, 2/2/.038, 3/1/215, 3/2/.038, 9/253, 10/.253 तादादी 3.289 हैक्टेयर तथा चक 10 के.एस.पी. पटवार हल्का 10 के.एस.पी. जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 27/22 के प.न. 162/301 मुरब्बा नंबर 12 किला नंबर 7, 8, 13, 18, 22, 23/2/.1680 तादादी 1. 433 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों चकों की कुल तादादी 4.722 हैक्टेयर अर्थात 18 बीघा 11 बिस्वा मय रास्ता व खाला कमाण्ड व अकमाण्ड में से अप्रार्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा अर्थात 4 बीघा 13 बिस्वा हिस्सा बनता है जिसमें से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 का 4 बीघा 13 बिस्वा में प्रत्येक का 1/3 बहिस्सा बराबर विरासतन हक व हिस्सा वाजिब बनता है। उक्त कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल करने से तथा राजस्व रिकार्ड की मौका की स्थिति में परिवर्तन करने से निषेध रहे।

≈ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई अप्रार्थी सं. की ओर से अधिवक्ता नवप्रीत सिंह ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि अप्रार्थी सख्या 1 के नाम कुल तादादी 4.722 हैक्टेयर अर्थात 18 बीघा 11 बिस्वा मय रास्ता खाला कमाण्ड व अनकमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड भूमि होना स्वीकार है लेकिन सारी भूमि पैतृक नही है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस कारण प्रार्थीगण का कथन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सख्या 1 व 2 की पैतृक कृषि भूमि, मनगढ्त, मिथ्या एंव आधारहीन एव अस्वीकार है। कृषि भूमि को पैतृक साबित करने का Burden of Proof प्रार्थीगण के उपर निर्भर करता है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि पुश्तैनी/पैतृक है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 4 में वर्णित प्रार्थीगण व अप्रार्थी सख्या 1 व 2 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। अप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थीगण का दादा व अप्रार्थी सख्या 2. प्रार्थीगण के पिता है, स्वीकार है। शेष तथ्य अस्वीकार है क्योकि अप्रार्थी सख्या 1 के पिता स्व॰ श्री कपूर सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में कुल 58 बीघा कृषि भूमि दर्ज थी। अप्रार्थी सख्या 1 के पिता के फौत हो जाने के बाद स्वर्गीय कपूर सिंह के 6 वारिसान थे जिसमें से अप्रार्थी सख्या 1 का विरास्तन हिस्सा 09 बीघा 12 बिस्वा है, शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को उसकी माता जसकौर ने अप्रार्थी सख्या 1 की सेवा सार सम्भाल से खुश होकर वापसी उपहार (Return Gift) के रूप में हक त्याग से प्राप्त हुई है एंव अपनी बहिनो को दिए दहेज, नानका शक एंव छुछक से खुश होकर वापसी उपहार के रूप में हक त्याग से प्राप्त हुई है जो स्वयं अर्जित सम्पति की श्रेणी में आती है, जिस कारण प्रार्थीगण का विरास्तन हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 की 09 बीघा 12 बिस्वा विरास्तन भूमि में से 16 बिस्वा प्रत्येक से ज्यादा किसी भी प्रकार का कोई भी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की मद सख्या 3 में दर्ज आराजी को पैतृक साबित करने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। दस्तावेज के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिजी है। प्रार्थीगण ने अपना कब्जा साबित करने हेतु कोई दस्तावेज पेश नही किया है तथा ना ही अंकन है कि प्रार्थीगण का मद संख्या 3 में वर्णित भूमि पर किस पत्थर नम्बर व किला नम्बर पर कब्जा काश्त है, जिससे प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने झूठे व बेबुनियादी आधारो पर स्थगन आदेश पारित करवाया है। प्रार्थीगण सिर्फ अपने हिस्सा 16 बिस्वा प्रत्येक पर अनुतोष व स्थगन आदेश पारित करवाने के अधिकारी हो सकते है न कि मुझ अप्रार्थी संख्या 2 की कुल 18 बीघ 11 बिस्वा भूमि पर।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 5 में दर्ज तथ्य झूठे व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। कर्ता खानदान की हैसियत से समस्त आराजी मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है तथा खातेदार काश्तकार होने के कारण व कर्ता खानदान होने के कारण अप्रार्थी सख्या 1 अपने नाम दर्ज कुल 4.722 हैक्टेयर अर्थात 18 बीघा 11 बिस्वा आराजी को किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को तंग परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय को मुगालता में रखकर सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश पारित करवा लिया है जो काबिले खारिजी के है। प्रार्थीगण, मुझ अप्रार्थी सख्या 1 के विरुद्ध 16 बिस्वा प्रत्येक को छोडकर किसी प्रकार की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा कानूनन भी खातेदार काश्तकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता। प्रार्थीगण की माता ने पारिवारिक न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध चल रही तलाक याचिका को सफल करने के लिए दवाब बनाने के उदेश्य से माननीय न्यायालय को मुगालता में रखकर झूठा स्थगन आदेश पारित करवा लिया जो काबिल खारिजी है। तलाक याचिका की प्रमाणित प्रति न्यायिक कर्मचारीयों की हडताल की वजह से प्राप्त नही होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना असम्भव है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 6 में वर्णित तथ्य कानूनी है जिसके जवाब की आवश्यकता नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरवैर सिंह आदि मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी। पत्रावली में मौजूद प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, पंजीबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक व सारभूत समझते है:-

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र में सलंग्न जमाबंदी, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। संलग्न दस्तावेजों अनुसार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पैतृक होने का प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया जबकि साक्ष्य के तौर पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। अभिलिखित खातेदार को अपने नाम दर्ज आराजी के उपयोग व उपभोग का अधिकार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य एक दावा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें हक व हिस्सों का निर्धारण किया जाना है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश जारी नहीं किया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षीगण को।

प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 अभिलिखित काश्तकार है एवं उक्त दस्तावेजात से अप्रार्थीगण अभिलिखित काश्तकार होने के कारण सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में साबित होता है। राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार के खिलाफ यदि स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो अप्रार्थी सं. खातेदारी अधिकारों का उपयोग व उपभोग से वंचित हो सकते है। न्यायालय के अभिमत में अप्रार्थी सं. को असुविधा हो सकती है।

अपूर्णनीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी शतात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रुप में भरपाई नहीं की जा सकती हो।

चूँकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा बाबत घोषणा विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले अप्रार्थीगण को अधिकतम हो सकती है।

अतएवं उक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में इस न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:क्रिन्याविति आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा स्थगन दिनांक 27.06.2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(मांग्री लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ